

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर
58/2016/प्रा.पत्र/2016

तारीख दायरा
09.08.2016

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
16.12.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

बनाम

..... प्रार्थी

- 1-श्री कैलाश शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा प्रबंधक मैसर्स राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 25 तिलक स्कूल के पास सुभाष कालोनी मालपुरा जिला टोंक राज0
- 2-श्री पुष्पा शर्मा पत्नि श्री कैलाश शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 25 तिलक स्कूल के पास सुभाष कालोनी मालपुरा जिला टोंक राज0
- 3- मैसर्स राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

- 1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2-श्री विजेन्द्र गोयल,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 16.12.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.06.2016 को समय 12.04 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज0 पर पहुंचा। प्रोपरायटर की हैसियत से कैलाश शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा प्रबंधक मैसर्स राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 25 तिलक स्कूल के पास सुभाष कालोनी मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का प्रबंधक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक(Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री कैलाश शर्मा को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक



प्राप्त की जिस पर विक्रेता कैलाश शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में 500-500 ग्राम के 30 नग दुकान में प्लास्टिक के बैग में चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक (Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) रखे हुये में से 500-500 ग्राम के चार नगों का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री कैलाश शर्मा को ₹0 480/- अक्षरों चार सौ अस्सी रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक (Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) 500-500 ग्राम के चार पैकेट को अलग-अलग चार भागों को चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में अलग-अलग ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड रखकर डिब्बों के ढक्कन को एयर टाइट बंद किया एवं नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-1357 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारों नमूना भागों को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-1357 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता कैलाश शर्मा के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे। चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं० 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2016/2725 दिनांक 08.07.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल०एस०/372/एक्ट/2016/422 दिनांक 16.06.2016 अनुसार कैलाश शर्मा से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक (Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 2(ii) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक (Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत ना कर बहस हेतु निवेदन कर बहस की। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक (Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया चाय राजस्थानी चाय ब्रॉड पॉली पैक (Tea Rajasthani Chai Brand Poly Pack) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री कैलाश शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा प्रबंधक मैसर्स राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 25 तिलक स्कूल के पास सुभाष कालोनी मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री पुष्पा शर्मा पत्नि श्री कैलाश शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं0 25 तिलक स्कूल के पास सुभाष कालोनी मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



16.12.2021
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0